Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं उसके ड्राईवर को 90 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.डब्ल्यू. इकाई द्वारा आज सोमवार को नगर निगम, जयपुर ग्रेटर में कार्यवाही करते हुये सहायक अग्निशमन अधिकारी छोटूराम एवं उसके ड्राईवर फतेह सिंह को 90 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.आई.डब्ल्यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि फॉयर सिस्टम की एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के सहायक अग्निशमन अधिकारी छोटूराम द्वारा उसके ड्राईवर फतेह सिंह के मार्फत 90 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की एस.आई.डब्ल्यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये छोटूराम पुत्र श्री नारायण लाल निवासी मातासुला, त. नांवा, जिला नागौर हाल निवासी के–2/10, एल.आई.सी. फ्लैटस, विधाधरनगर जयपुर हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर ग्रेटर को उसके ड्राईवर फतेह सिंह पुत्र श्री कमलराम निवासी कोठीन वैनूपाड़ा, तहसील बसवा, जिला दौसा के मार्फत परिवादी से 90 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के